Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट बनाम **झमकलाल वगैराह**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **179** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2022	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील अप्रार्थी को दिलवाई गई। वकील अप्रार्थी द्वारा कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस बाबत् विड्रो का एक तरफा सुना गया। चिंतन–मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है। ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/D- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 13.01.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	